न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
127 / 2025	02 / 06 / 2025	[illegible] / 10 / 2025

1. कानाराम पुत्र रामू
2. हुकमचन्द पुत्र रामू
3. मूलचन्द पुत्र रामू
4. ———— —— ————
5. जगदीश पुत्र पूरणमल
6. देवीसहाय पुत्र पूरणमल
7. धानाराम पुत्र पूरणमल
8. मेहनूराम पुत्र पूरणमल
9. रमेश चन्द पुत्र पूरणमल
10. रूकमा देवी पत्नि पूरणमल

जाति कोली, निवासी ग्राम व तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र जानकीवल्लभ जाति महाजन निवासी ग्राम जमवारामगढ, मोदी मोहल्ला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. उपायुक्त जोन 13, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 311 रकबा 1.0000है0 जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 718 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा थी जो कि ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 718 के लगवा (दो खसरा नम्बर 292, 305 का रासता) विगत 20 सालों से चालू है एवं नक्शा मे गैर मुमकिन रास्ता है तथा मौके पर भी है। जिसके अंनुसार पहला रास्ता हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 0.0100है0 जो घनश्याम पुत्र जानकीवल्लभ महाजन के नाम गलती से दर्ज चला आ रहा है एवं दुसरा रास्ता का खसरा नम्बर 305 रकबा 0.3500है0 जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम जिस परी सी0सी0रोड बनी हुयी है जो कि मौके पर चालू है। जिसका ग्रामवासी द्वारा उपयोग करते आ रहे है। जिसमें कोई परेशानी नही है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 311 के लगवा खसरा नम्बर 292 गै0मु0सडक रकबा 0.0100है0 जिसका नक्शा सही है लेकिन जमाबन्दी में रकबा अधिक का था जो कि राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थी सं0 1 घनश्याम पुत्र जानकीवल्लभ महाजन के नाम गलती से नाम दर्ज कर दिया है। जो नियम विरूद्व है। राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थी सं0 1 का खसरा नम्बर 292 की जमाबन्दी में विधि विरूद्व नाम दर्ज कर दिया है। जिसके जानकारी के बाद प्रार्थीगणों ने उक्त रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

का दुरूस्त करवाने के लिये अप्रार्थी सं 1 को कहा तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण का हाल खसरा नम्बर 292 मे से होकर ग्राम जमवारामगढ की जनता व मवेशीयों एवं वाहनों का 20 सालो से आना जाना रहा है। लेकिन हाल रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थी सं0 1 से का नाम दर्ज अंकित किया है। जिसे दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे गै0मु0 रास्ता किया जाना जनहित में आवश्यक है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.0100है0 की रिकार्ड में दर्ज अप्रार्थी सं0 1 का नाम हजफ करके उनके स्थान पर नक्शा में दर्ज रकबा अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गै0मु0 रास्ता करने के आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी करवाई गई। अप्रार्थी सं0 1 व 3 को तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इनको बा–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 2 (पैरोकार सरकार) ने पत्रांक/एलआर/25/7883 दिनांक 18.09.25 द्वारा अपने जवाब मे निवेदन किया कि खसरा नम्बर 311 रकबा 1.00है0 ग्राम जमवारामगढ वादीयों के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमे आने जाने के लिए प्रार्थी आनलाईन नक्शे रिकार्ड रास्ते की त्रुटि के दुरूस्त करवाना चाहता है। वर्तमान नक्शा रिकार्ड में खसरा नम्बर 284 रकबा 0.28है0 गै0मु0सडक, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.35है0, गै0मु0सडक ज0वि0प्रा0 के खाते में से दर्ज रिकार्ड है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान के बीच मे से सीमा निर्धारित नही की गई थी। नक्शें को आनलाईन करते समय सहवन से गै0मु0चाह खसरा नम्बर 292 को रास्ते की जगह लिख दिया गया जबकि संलग्न नक्शा अनुसार कुए के खसरा नम्बर थे एवं नक्शें करे 1–2–1 करने के लिए खसरा नम्बर 305 गै0मु0सडक की आनलाईन नक्शे मे मन मुताबिक सीमाए निर्धारित कर दी गई जो कि गलत है। अत आनलाईन नक्शें में प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरूस्तीकरण किया जाना अपेक्षित होगा।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम जमवारामगढ, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ में स्थित उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 292, 284 व खसरा नम्बर 305 को मुताबिक रिपोर्ट व साबिक नक्शे अनुसार रकबा बरारी करते हुए दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28.10..2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner